

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(36) ग्रावि/युप-5/जीकेएन/बीएसआर प्रगति/2021-22

जयपुर दिनांक 08/03/2023

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषय:- वर्ष 2023-24 की पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 01.02.2023, 21.02.2023, एवं 01.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के क्रय नियम - 183 से 192 तक उल्लेखित सामग्री और सेवाओं का उपापन एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 से सम्बन्धित प्रक्रिया का समयबद्ध क्रियान्वयन के क्रम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अधीन सम्पादित होने वाले समस्त योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को छोड़कर) वर्ष 2023-24 की नवीन दर मूल अनुसूची सामग्री दरों का निर्धारण, पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने हेतु बेसिक दरों का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। उक्त क्रम में विभागीय प्रासांगिक पत्र द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु बीएसआर तैयार करने के क्रम में आवश्यक निर्देश जारी कर निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की गयी है:-


क.सं.	गतिविधि	निर्धारित समय सीमा	उत्तरदायित्व
1.	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची हेतु सामग्री/श्रम का सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करना (निर्धारित प्रक्रिया की पालना अनिवार्य रूप से किया जावे)	15 फरवरी 2023 तक	विकास अधिकारी व सहायक अभियंता कार्यालय, पं.स.
2.	उक्तानुसार सर्वे के आधार पर पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची का प्रारूप तैयार करना (निर्धारित प्रक्रिया की पालना अनिवार्य रूप से किया जावे)	24 फरवरी, 2023 तक	विकास अधिकारी व सहायक अभियंता कार्यालय, पं.स.
3.	जिला दर निर्णायक समिति द्वारा दरों का अनुमोदन (निर्धारित प्रक्रिया की पालना अनिवार्य रूप से किया जावे)	15 मार्च, 2023 तक	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (क्रमशः जिला कलक्टर एवं अधिशाधी अभियंता (अभि.))
4.	वर्ष 2022-23 हेतु दर मूल अनुसूची लागू करना।	01 अप्रैल, 2023	जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी।

उक्त संबंध में बीएसआर सॉफ्ट की प्रदर्शित रिपोर्ट दिनांक 01.03.2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77 पंचायत समितियों (अलवर-3, बांरा-8, बाडमेर-18, भीलवाडा-3, चुरू-4, दौसा-8, डुंगरपुर-7, हनुमानगढ-2, राजसमंद-8, सिरोही-2, टोंक-1 एवं उदयपुर-13 कुल-77) द्वारा ही बीएसआर दरे प्रस्तावित की गयी है।

अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत समितिवार बीएसआर दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी करने हेतु निर्धारित समय सीमा अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. अधिशाधी अभियंता(अभि.), जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

Financial Year :-

2023-2024

BSR Approval Status as on 08/03/2023 for FY : 2023-2024

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समितियों की संख्या	पं.स. स्तरीय दर सर्वेक्षण एवम प्रस्तावक समिति की बैठक कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	बी.एस.आर. Propose कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	बी.एस.आर. प्रभावी कर चुकी पंचायत समितियों की संख्या	एक से अधिक बार बी.एस.आर. प्रभावी करने वाली पंचायत समितियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	11	0	0	0	0
2	अलवर	16	0	3	0	0
3	बासवाड़ा	11	0	0	0	0
4	बारां	8	0	8	0	0
5	बाड़मेर	21	0	18	0	0
6	भरतपुर	12	0	0	0	0
7	भीलवाड़ा	14	0	3	0	0
8	बीकानेर	9	0	0	0	0
9	बन्दी	5	0	0	0	0
10	चित्तौड़गढ़	11	0	0	0	0
11	चुरू	7	0	0	0	0
12	दौसा	11	0	4	0	0
13	धौलपुर	6	0	8	0	0
14	इंटरपुर	10	0	0	0	0
15	गंगानगर	9	0	7	0	0
16	हनुमानगढ़	7	0	0	0	0
17	जयपुर	22	0	2	0	0
18	जैसलमेर	7	0	0	0	0
19	जालोर	10	0	0	0	0
20	झालावाड़	8	0	0	0	0
21	झुंझुन	11	0	0	0	0
22	जोधपुर	21	0	0	0	0
23	करौली	8	0	0	0	0
24	कोटा	5	0	0	0	0
25	नागौर	15	0	0	0	0
26	पाली	10	0	0	0	0
27	प्रतापगढ़	8	0	0	0	0
28	राजसमन्द	8	0	0	0	0
29	सवाई माधोपुर	7	0	8	0	0
30	सीकर	12	0	0	0	0
31	सिरोही	5	0	0	0	0
32	टोंक	7	0	2	0	0
33	उदयपुर	20	0	1	0	0
	Total	352	0	13	0	0
			0	77	0	0